न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई०ए०एस०

प्रा0 पत्र सं0 99/2025 प्रा.पत्र सुपुर्दगीनामा

रूद्धार पुत्र हाजी मोहर खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम अडबर तहसील व जिला नूह हरियाणा मुख्त्यारआम वास्ते पंजीकृत वाहन स्वामी साहुन पुत्र असलूप निवासी कांगरका तहसील तावडू जिला नूह हरियाणा

...प्रार्थी

बनाम

राज० सरकार जरिये अभियोजन अधिकारी (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा जिला दौसा)

...अप्रार्थी

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 88/2024
पुलिस थाना बालाहेडी जिला दौसा
अं० धारा 3, 5, 6, 8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995

उपस्थित:1. श्री बी0एस0मीना, अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 01.04.2026

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा इस प्रकार है कि थानाधिकारी पुलिस थाना बालाहेडी जिला दौसा द्वारा दिनांक 05.06.2024 को 07 गोवंश भरकर ले जा रही पिक अप वाहन संख्या HR66-C-8858 को अभियोग संख्या 88/2024 अंतर्गत धारा 3, 5, 6, 8 गोवंश अधिनियम में जब्त किया गया। पुलिस थाना मण्डावर जिला दौसा द्वारा उक्त पिक अप वाहन संख्या आरजे एचआर 66 सी 8858 को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पुलिस थाना बालाहेडी जिला दौसा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा की एक प्रति अभियोजन अधिकारी को दी गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4- अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा सुपुदर्गीनामा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि पुलिस थाना बालाहेडी जिला दौसा द्वारा उक्त प्रकरण में प्रार्थी के वाहन बोलेरो पिकअप संख्या **HR66-C-8858** को जब्त किया गया है। उक्त वर्णित वाहन के रजिस्टर्ड स्वामी साहुन पुत्र असलूप निवासी कांगरका तहसील तावडू जिला नूह हरियाणा का प्रार्थी मुख्त्यारआम है जिससे प्रार्थी उक्त वाहन को सुपुर्दगीनामा पर प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी का उक्त वाहन खाली आ रहा था। प्रार्थी के वाहन को उक्त प्रकरण में गलत रूप से लिप्त किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने वाहन को किसी प्रकार के गौवंश परिवहन में उपयोग में नहीं लिया जा रहा था। पुलिस को उक्त वाहन की कोई जरूरत नहीं है। उक्त वाहन थाने पर खडा खडा खराब हो रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति की सूरत है।प्रार्थी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार सुपुर्दगीनामा पेश करने को तैयार व तत्पर है। अतः प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को वाहन बोलेरो पिकअप संख्या संख्या **HR66C8858** सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:35:52 IST
Reason: SelfAttested

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि दिनांक 04.06.2024 को मन डीओ श्री उमराव हैड कानि न 50 मय एक पिस्टल मय 5 राउन्ड मय जाप्ता गिरधर कानि न 1314 सरकारी

जिला कलेक्टर,दौसा

चालक दिलीप सिह कानि न 1099 मय अनुसंधान बाक्स के थाने से समय 10.50 पी0एम0 पर गश्त व निगरानी बदमाशान हेतु रवाना हुआ, दौराने गश्त आज दिनांक 05.06.2024 को समय करीब 04.00 ए0एम0 पर जरिये मुखबीर सूचना मिली कि गावं पीपलखेडा कट पर एन0एच0 21 के किनारे फुटपाथ पर एक सफेद रंग की पिकअप नम्बर भ्त66ब्8858 जिसमें गाय भरी हुई है पिकअप का टायर फटने के कारण चालक पिकअप को छोड़कर भाग गया है आदि प्राप्त सूचना पर मन डीओ हैड कानि उमराव न 50 मय जाप्ता उपरोक्त के रवाना होकर उक्त पिकअप की तलाश करता हुआ समय करीब 04.10 ए0एम0 पर गावं पीपलखेडा कट पर एन0एच0 21 पहुंचा, जहां पर हाईवे के किनारे फुटपाथ पर एक सफेद रंग की पिकअप नम्बर भ्त66ब्8858 खडी हुई दिखाई दी, जिस पर मन डीओ मय जाप्ता ने उक्त पिकअप के पास पहुंचा और देखा कि उक्त पिकअप नम्बर भ्त66ब्8858 में 05 गाय व 02 सांड के मुंह व पैरों को रस्सियों को बांध कर पिकअप में ठूंस–ठूंस कर कर भरी हुई मिली जो घायल अवस्था मेथी, जिस पर मौके पर आस पास उक्त पिकअप के चालक परिचालक को तलाश किया तो कोई मौजूद नहीं मिला, उक्त पिकअप में गौवंश के मुह पैर पेट को रस्सियो से बाँध कर ठूस ठूस कर भरकर हरियाणा– उत्तर प्रदेश की तरफ बूचडखाने मे वध करने हेतु ले जाने का अंदेशा पाया गया। जिनका उक्त कृत्य धारा 3,5,6,8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की नौयत में आना पाये जाने पर मौके पर मिली उक्त पिकअप नम्बर भ्त66ब्8858 मय 07 गौवंष (05 गाय व 02 सांड) को दौराने कार्यवाही मौके पर जरिये फर्द बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जा पुलिस मे लिया गया तथा मौके पर गौवंश के लिए चारा पानी तथा इलाज की माकूल व्यवस्था नही होने पर बाद कार्यवाही मौके से मय जप्त शुदा गाडी तथा गोवंश के रवाना होकर गौशाला महवा पहुंचा जहाँ पर हमराही पुलिस जाप्ता व गौ–सेवकों की मदद से गाडी मे भरी हुई गाय व सांडों के मुहँ पैरो मे बंधी रस्सियो को काट कर कुल 07 गौवंष (05 गाय व 02 सांड) को नीचे उतारा जाकर मुक्त करवाया गया, जिन्हे घायल अवस्था मे होने से जरिये मोवाईल पशु चिकित्सा अधिकारी को इलाज एवं मैडिकल मुआयना हेतु उपस्थित आने बाबत निवेदन किया गया तथा गौवंष के मुंह पैरो मे से खोली/काटी गई रस्सियो को दौराने कार्यवाही जरिये फर्द बतौर वजह सबूत पृथक से जरिये फर्द जप्त किया गया तथा पशु चिकित्सकीय टीम को आने पर घायल गौवंश के इलाज एवं मैडिकल मुआयना हेतु तहरीर दी जाकर इलाज एवं मैडिकल मुआयना करवाया गया। तत्पश्चात जब्तशुदा कुल 07 गौवंष (05 गाय व 02 सांड) को प्रवन्धक श्री कृष्ण गोपाल गौशाला महवा को सुपुर्द कर जमा गौशाला करवाया जाकर रशीद प्राप्त की गई बाद प्राप्ति रशीद मय जप्तशुदा पिकअप नम्बर भ्त 66 ब 8858 एवं जप्तशुदा रस्सियों एवं हमराही जाप्ता वाहन सरकारी के रवाना होकर वापस थाना आया जप्तशुदा पिकअप नम्बर भ्त66ब्8858 एवं जप्तशुदा रस्सियों को मुताबिक फर्द जमा मालखाना करवाया जाकर जब्तशुदा पिकअप को सुरक्षार्थ थाना परिसर में खड़ा करवाया जाकर सुपुर्द सन्तरी किया गया। आदि पर मुकदमा नम्बर 88/ 2024 धारा 3,5,6,8 राजस्थान गौवशीयं पशु अधिनियम 1995 के मे कायम कर तफ्तीश शुरू की गई। प्रकरण हाजा मे दौराने तफ्तीश घटनास्थल का नजरीनिरीक्षण कर नक्सा मौका कशीद किया जाकर परिवादी व गवाहन से दरियाप्त कर बयान धारा 161 सीआरपीसी मे लेखबद्द कर शामिल पत्रावली किये गये । गायो की मैडिकल रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई । प्रकरण हाजा मे जप्त शुदा वाहन पिकअप नम्बर HR66-C-8858 का रिकोर्ड परिवहन कार्यालय नारनौल से प्राप्त किया गया तो वाहन का रजिस्ट्रर्ड स्वामी श्री साहून पुत्र असलूप जाति मुसलमान निवासी कोगरिका तहसील थाना तावडू जिला नूह मेवात हरियाणा होना पाया गया। जिस पर वाहन के रजिस्ट्रर्ड स्वामी साहून से उक्त वाहन पिकअप नम्बर **HR66-C-8858** के सम्बन्ध में अनुसंधान किया गया तो वाहन स्वामी साहून के द्वारा वाहन को जरिये स्टाम्प मुख्तयारनामा रुजदार उर्फ चोड़ा पुत्र मौहरखाँ जाति मुसलमान उम्र 64

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:35:52 IST
Reason: SelfAttested

DV

जिला कलेक्टर,दौसा

साल निवासी अडबर सदर नूह जिला नूह मेवात हरियाणा को दिनाक 15/04/2024 को बेचान करना पाया गया। जिस पर मुख्तयारनामा वाहन स्वामी रुजदार उर्फ चोड़ा पुत्र मौहरखाँ जाति मुसलमान उम्र 64 साल निवासी अडबर सदर नूह जिला नूह मेवात हरियाणा को नोटिस 133 एमवी एक्ट देकर वक्त घटना वाहन पर चालक के बार मे जबाब चाहा गया जिस पर मुख्तयारनामा वाहन स्वामी रूद्धार उर्फ चोडा के द्वारा वक्त घटना दिनाक 05/06/2024 को वाहन पिकअप नम्बर **HR66-C-8858** पर चालक सद्दाम पुत्र रूजदार उर्फ चोडा जाति मुसलमान निवासी अडबर सदर नूह जिला नूह मेवात हरियाणा होना बताया । प्रकरण हाजा मे मुख्तयारनामा वाहन स्वामी रुजदार उर्फ चोडा से दरियाप्त कर बयान धारा 161 सीआरपीसी मे लेखबद्द किये गये । मुख्यतयारनामा मूल स्टाम्प व मुख्यतयारनामा स्टाम्प क्रय रजिस्ट्रर की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई तो उक्त स्टाम्प रूदजार उर्फ चोडा के द्वारा खरीदना पाया गया । स्टाम्प विक्रेता साबुद्दीन व नोटेरी स्टाम्प वकील आबिदखान से दरियाप्त कर बयान धारा 161 सीआरपीसी मे लेखबद्ध किये गये । प्रकरण हाजा के वान्छित वक्त घटना वाहन चालक सद्दाम की तलाश की गई । दौराने तलाश दिनाक 07/12/2025 को दस्तयाव कर तफ्तीश की गई । प्रकरण हाजा मे अपराध धारा 3 गौवंश अधिनियम का अपराध गठित होना नही पाये जाने पर धारा 3 गौवंश अधिनियम पृथक की गई तथा अपराध धारा 9 गोवंस अधिनियम का अपराध गठित होना पाये जाने पर अपराध धारा 9 गोवंस अधिनियम एड की गई । मुलजिम सद्दाम के खिलाफ जुर्म धारा 5,6,8,9 गौवंश अधिनियम प्रमाणित पाये जाने पर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया । मुलजिम की इत्तला 27 साक्ष्य अधिनियम घटनास्थल का तस्दीक नक्सा मौका कशीद किया गया। मुलजिम के साथ वाहन पिकअप मे गाय भरने वाले अज्ञात व्यक्तियो की मुलजिम की निशादेही से तलाश की गई तथा बालाजी के पास पड़े डेरे को सर्च किया गया लेकिन गाय भरने वाले अज्ञात व्यक्तियो का कोई नाम पता नही होने के कारण कोई सुरागरसी नही चल सकी । मुलजिम के द्वारा दौराने तफ्तीश बताया कि गाय रात्रि के समय जंगल से भरी थी जिस पर मुलजिम की निशादेही से उक्त स्थान की तलाश की गई लेकिन मुलजिम द्वारा उक्त स्थान की पहचान नही होना बताया । प्रकरण हाजा मे गिरफ्तार शुदा मुलजिम सद्दाम को बाद तफ्तीश न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश कर जेल दौसा दाखिल करवाया गया । प्रकरण हाजा मे समस्त तफ्तीश व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से मुलजिम सद्दाम पुत्र रूजदार उर्फ चोडा जाति मुसलमान उम्र 33 साल निवासी अडबर सदर नूह जिला नूह मेवात हरियाणा के खिलाफ जुर्म धारा 5,6,8,9 गौवंश अधिनियम बखूबी प्रमाणित पाये जाने पर मुलजिम सद्दाम पुत्र रूजदार उर्फ चोडा जाति मुसलमान उम्र 33 साल निवासी अडबर सदर नूह जिला नूह मेवात हरियाणा के खिलाफ चार्जशीट नम्बर 95/2025 दिनाक 16/12/2025 को धारा 5,6,8,9 गौवश अधिनियम मे किता कर दिनाक 22/12/2025 को पेश न्यायालय की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. इस संबंध में राज. गोवंशीय पशु अधिनियम की धारा 6 ए के प्रावधान निम्नानुसार है जो अवलोकनीय है:–

> " 1 6-A. Confiscation of the means of conveyance.- (1) Whenever an offence punishable under this Act is committed, any means of conveyance used in the commission of such offence shall be liable to confiscation.
>
> (2) Where any means of conveyance referred to in sub-section (1) is seized in connection with the commission of an offence punishable under this Act, a report of such seizure shall, without unreasonable delay, be made by the person seizing it to the Competent Authority and whether or not a prosecution is instituted for commission of such offence, the Competent Authority, having jurisdiction over the area where the said means of conveyance was seized, may, if satisfied that the

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:35:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

said means of conveyance was used for commission of offence under this Act, order confiscation of the said means of conveyance:

Provided that before ordering confiscation of the said means of conveyance a reasonable opportunity of being heard shall be afforded to the owner of the said means of conveyance and if such owner satisfies the Competent Authority that he had no reason to believe that such offence was being or likely to be committed and he had exercised due care in the prevention of the commission of such an offence, the Competent Authority may not confiscate the said means of conveyance:

Provided further that where such means of conveyance is owned by the Central Government or any State Government or any of their undertaking, no order of confiscation of such means of conveyance shall be passed by the Competent Authority and the matter shall be referred to the State Government by the Competent Authority for making such orders regarding means of conveyance as the State Government may deem fit:

Provided also that before ordering confiscation under this sub-section, the owner of the means of conveyance referred to in sub-section (1), may be given an option to pay, in lieu of confiscation, a fine not exceeding the market price of such means of conveyance:

Provided also that an owner of a means of conveyance shall not be given option under the preceding proviso, if he had been given option under that proviso at an earlier occasion.

(3) Whenever any means of conveyance as referred to in sub-section (1) is seized in connection with commission of an offence under this Act, the Competent Authority shall have, and notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, any Court, Tribunal or other authority shall not have, jurisdiction to make order with regard to the possession, delivery, disposal or release of such means of conveyance.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(4) Where the Competent Authority is of the opinion that it is expedient in public interest or for the benefit of its owner that the means of conveyance, as referred to in sub-section (1), seized for commission of offence under this Act be sold by public auction, he may at any time direct it to be sold.

(5) Any order of confiscation made by the Competent Authority shall not prevent the infliction of any punishment to which the person affected thereby is liable under this Act.".

7. हमने पत्रावली व तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया।

- विश्लेषण एवं विवेचनः मैंने प्रकरण की पत्रावली, विवेचना रिपोर्ट, तथ्यात्मक रिपोर्ट, चालान एवं उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते है।
- यह निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि वाहन पिकअप संख्या **HR66-C 8858** का उपयोग 07 गौवंशीय पशुओं (05 गाय एवं 02 बैल) के अवैध परिवहन हेतु किया गया। पुलिस दल द्वारा मौके पर वाहन में पशुओं को रस्सियों से बंधी अवस्था में, मुँह एवं पैर बंधे हुए तथा घायल अवस्था में पाया गया। यह अधिनियम की धारा 5 एवं 6 का स्पष्ट उल्लंघन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:35:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

- आरोपी सद्दाम पुत्र रूद्धार उर्फ छोदा की पहचान हुई है तथा अधिनियम की धारा 5, 6, 8 एवं 9 के अन्तर्गत चालान संख्या 95/2025 दिनांक 16.12.2025 को प्रस्तुत किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि आरोपी, आवेदक रूद्धार उर्फ छोदा का ही पुत्र है, जो यह दर्शाता है कि वाहन स्वामी/मुख्त्यारनामा धारक का परिवार ही इस अवैध कृत्य में संलिप्त है। सुपुर्दगीनामा आवेदन अस्वीकार किये जाने योग्य है।
- उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वाहन का उपयोग अधिनियम के अन्तर्गत अपराध कारित करने हेतु किया गया है। ऐसे वाहन को सुपुर्दगीनामे पर वापस लौटाना अधिनियम के उद्देश्यों एवं भावना के विपरीत होगा।
- राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध एवं अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 6 ए जिला कलेक्टर को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह अधिनियम के अन्तर्गत अपराध कारित करने में प्रयुक्त वाहन को जब्त एवं जप्त (**confiscate**) करने का आदेश दे सकता है। धारा 6 ए के अनुसार, जब कोई वाहन गौवंशीय पशुओं के अवैध परिवहन अथवा वध हेतु प्रयुक्त पाया जाता है, तो ऐसे वाहन की जब्ती (**confiscation**) का आदेश पारित किया जा सकता है।
- प्रकरण के तथ्य एवं संलिप्तताः वाहन पिकअप (रजिस्ट्रेशन नम्बर HR 66 C 8858) को दिनांक 09/08/2025 को जब्त किया गया था, जिसमें कुल 05 गायें व दो बैल रस्सियों से मुंह व पैर बंधे हुए भरे मिले थे, जिनका अवैध रूप से गोकशी के लिए परिवहन किया जा रहा था। यह अपराध धारा 3, 5, 6, 8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियम) नियम 1955 के तहत आता है
- वाहन स्वामी की भूमिकाः अनुसन्धान में वाहन स्वामी रूद्धार के खिलाफ धारा 6, 8 गौवंश अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाया गया है। मुल्जिम साहिल को गिरफ्तार कर चालान दिनांक 22.12.2025 को पेश किया जा चुका हैं आवेदक ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने अपना वाहन भाड़े पर दिया था।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

- अधिहरण (**Confiscation**):जब्तशुदा वाहन का उपयोग गोकशी के लिए अवैध गोवंश परिवहन जैसे गंभीर अपराध में हुआ है इस अधिनियम के तहत, कलेक्टर को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि वह संतुष्ट हो जाए कि वाहन का उपयोग अपराध में हुआ है, तो वह उसे अधिहरण (**Confiscation**) करने का आदेश दे सकता है।
- अधिहरण की कार्यवाहीः चूंकि वाहन स्वामी स्वयं अपराध में संलिप्त पाया गया है, यह प्रथम दृष्टया अपराध में प्रयुक्त वाहन के अधिहरण का मामला बनता है, लेकिन अंतिम निस्तारण न्यायालय में विचाराधीन है।
- निष्कर्षः प्रकरण की गंभीरता के मद्देनजर जब्तशुदा वाहन को इस आदेश द्वारा अधिहरण करने का आदेश दिया जाता [illegible] आवेदक को पर्याप्त जुर्माना और जमानतें जमा कराकर इस [illegible] करने का अधिकार दिया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:35:52 IST
Reason: SelfAttested

आदेश (**Operative Order**):

उपरोक्त विस्तृत कारणों एवं विश्लेषण के आधार पर, यह न्यायालय निम्नलिखित आदेश पारित करता हैः

जिला कलेक्टर,दौसा

- वाहन नम्बर HR 66 C 8858 का उपयोग राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियम) नियम 1955 के तहत गंभीर अपराध में होना प्रमाणित होने के कारण, उक्त वाहन को अधिहरित (**Confiscated**) किया जाता है।
- सशर्त सुपुर्दगी द्वारा रिहाई का अधिकार (**Right of Release on Payment of Fine**):
अधिहरण के आदेश के बावजूद, आवेदक श्री सहिल पुत्र ईशाक को निम्न शर्तों और जुर्माना जमा कराने पर वाहन नम्बर HR 66 C 8858 को अस्थायी रूप से सुपुर्दगी पर प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता है:
- जुर्माना (**Fine**): आवेदक वाहन के मूल्य (जो कि बीमा के दस्तावेजों से सिद्ध होता है) का 70 प्रतिशत अर्थात 6,22,000/—रू0 (अक्षरे छह लाख बाईस हजार रूपये मात्र)का जुर्माना (**Fine**) इस न्यायालय में जमा कराएगा। जुर्माना राशि जमा नहीं कराये जाने पर पुलिस थाना बालाहेडी के द्वारा खुली नीलामी के द्वारा वाहन का निस्तारण किया जायेगा।
- बंध पत्र (**Surety Bond**): आवेदक एक लाख रुपये (₹1,00,000/—) का व्यक्तिगत बंध पत्र (**Personal Bond**) तथा दो सक्षम एवं संतोषजनक जमानतें (₹1,00,000/— की) इस न्यायालय में प्रस्तुत करेगा
- अन्य शर्तें:
- जब भी न्यायालय वाहन को तलब करेगा, अपने खर्चे पर साक्ष्य हेतु पेश करेगा। (इस हेतु वह अपना स्थाई पता, दूरभाष नंबर, ई मेल एड्रैस, व व्हाट्सअप नंबर शपथ पत्र पर प्रस्तुत करे)
- छायाचित्र एवं सुपुर्दनामा: आवेदक सुपुर्दगी से पूर्व जब्तशुदा वाहन के नवीनतम फोटो (चारों दिशाओं से) और एक विस्तृत सुपुर्दनामा (**Supurdagi Nama**) न्यायालय में जमा कराएगा।
- वाहन का विक्रय/हस्तांतरण निषेध: आवेदक सक्षम न्यायालय के आगामी आदेश के बिना उक्त वाहन को बेचेगा/हस्तांतरित करेगा या उसकी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।
- आवश्यकता पर प्रस्तुति: आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि जब भी संबंधित न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा वाहन को प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाए, वह वाहन को उसी स्थिति में तत्काल प्रस्तुत करेगा।

8. निर्णय की प्रति थानाधिकारी पालनार्थ पुलिस थाना बालाहेडी को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2026 को खुले न्यायालय सुनायागया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:35:52 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा